भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4792

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

बांधों का निर्माण

4792. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्मित/निर्माणाधीन बांधों की संख्या कितनी है;

(ख) पर्यावरणीय अस्थिरता के कारण कितने निर्माणाधीन बांधों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरणीय दृष्टि से व्यवहार्य न होने के कारण पश्चिमी घाट में 1400 से अधिक चेकडैम बनाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (घ): भारत सरकार अपनी चल रहीं योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित सिंचाई परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा अंतर-राज्यीय नदी प्रणालियों पर स्थित वृहद या मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाना है।

जल के राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्य सरकारों को जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव के साथ-साथ संबंधित राज्य में बांधों से संबंधित आंकड़े भी रखने होते है। इसी प्रकार, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में निर्मित/निर्माणाधीन बांधों के विवरण, के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता की कमी के कारण अस्वीकृत प्रस्तावों का विवरण भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं रखा जा रहा है।

तथापि, किसी भी परियोजना को अपेक्षित वैधानिक और अनिवार्य मंज़ूरियां जारी करने से पहले, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार परियोजनाओं की पर्यावरणीय व्यवहार्यता की जांच की जानी आवश्यक है। किसी परियोजना का कार्यान्वयन तभी शुरू किया जा सकता है जब निर्धारित मंज़ूरियां प्राप्त हो जाएं।

*****